अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
c **13/01/2022**	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **जे0 ए0 आर अपील** 27/2013 नीरज कुमार बनाम आशा ठाकुर एवं राँची नगर निगम **आदेश** प्रश्नगत अपील मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी राँची नगर निगम द्वारा वाद संख्या–25 / 2011 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। उक्त आदेश में नगर आयुक्त द्वारा विष्णु धाम अर्पाटमेंट कुसुम विहार, मोराबादी, राँची के फ्लैट संख्या–4B के निबंधन हेतु आदेश पारित किया गया था। यह अपील आवेदन दायर करने के पश्चात् दिनांक–30.04.2013 से किसी भी तिथि को आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। अंततः उपलब्ध कागजातों के आधार पर प्रश्नगत् वाद का निष्पादन किया जा रहा है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश एवं अपील आवेदन से यह स्पष्ट होता है कि इस बिल्डिंग के निर्माता Chmunda Consturction है तथा आवेदक एवं गिरिश चन्द्र राय उक्त कम्पनी में साझेदार है। भू स्वामी द्वारा Power of Attrony नीरज कुमार को दिया गया है। इसी आधार पर आवेदक द्वारा निम्न न्यायालय में इस निबंधन में आपति की गयी थी। प्रश्नगत् अपार्टमेंट विधिवत् अनुमोदन के पश्चात् निर्मित है तथा फ्लैट धारक के पास सभी आवश्यक कागजात उपलब्ध है। भू स्वामी एवं बिल्डर के विवाद के कारण फ्लैट धारक को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। इसी आधार पर नगर आयुक्त द्वारा एक पक्षीय निबंधन का आदेश पारित किया गया है। स्पष्टतः उक्त आदेश पूर्णतः उचित है। यह अपील दायर करने के पश्चात् एक भी तिथि को आवेदक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। वर्णित परिस्थिति में इस अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित आयुक्त। आयुक्त।	

Digitally signed by MUTHUKUMAR ALAGUMUTHU
Date: 2022.11.18 13:48:44 +05:30
Location: 10.93.72.187